[2022] 6 एस.सी.आर.918

शिखर और अन्य

बनाम

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और अन्य

(याचिका पत्र (सी) सं. 208 / 2022)

5 अप्रैल, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सूर्य कांत और बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्तिगण]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान: प्रवेश - पात्रता मानदंड - प्रवेश के लिए पात्रता मानकों का निर्माण कार्यपालिका और नियामक प्राधिकृतियों के क्षेत्र में है।

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान: नीट- पीजी 2022- प्रवेश - डॉक्टरों द्वारा, नीट- पीजी 2022के उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण के पूरा होने की निर्धारित समय सीमा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई - छात्रों ने दावा किया कि कोविड परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण की शुरुआत में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप वे कट-ऑफ तिथि को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए, उन्हें नीट- पीजी 2022में समायोजित करने के लिए कट-ऑफ तिथि का विस्तार मांगा - वैकल्पिक रूप में, यह तर्क किया गया कि कोविड के कार्यों पर बिताया गया समय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की ओर गिना जाना चाहिए- निष्कर्ष: प्राधिकृतियों ने यह स्पष्ट कारण दिए हैं कि प्रशिक्षण को पूरा करने की समय सीमा क्यों विस्तारित नहीं की जा सकती - कट-ऑफ को और आगे बढ़ाने से शैक्षिक अनुसूची में विघ्न आएगा, जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया - इसके अलावा, जिन छात्रों ने 31 जुलाई 2022 की कट-ऑफ के अनुसार योग्यता प्राप्त की है, उन्हें अनिवार्य रूप से अनुसूची की स्थगनता से प्रभावित होगा - अतः, ऐसे किसी दिशा-निर्देश पास नहीं किए जा सकते- वैकल्पिक प्रार्थना, कोविड के कार्यकाल को प्रशिक्षण की आवश्यकताओं में शामिल करने के लिए, इस न्यायालय को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के समापन के लिए पाठ्यक्रम को माइक्रो-प्रबंधित

करने में भी लिप्त करेगा - यह एक कार्य है जिसे न्यायालय द्वारा माना नहीं जाना चाहिए - अतः, हालांकि उन छात्रों को कठिनाई हुई है जिनकी प्रशिक्षण बहुत देर से शुरू हुई, इस समय पर, अन्य छात्रों पर प्रभाव डालने के रूप में अनुसूची में बदलाव करना संभव नहीं होगा जो 31 जुलाई 2022 की कट-ऑफ तिथि को पूरा करते हैं-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रस्तुत याचिका को मान्यता नहीं दी जा सकती है - भारतीय संविधान - अनुच्छेद 32।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 हालांकि प्रशिक्षण के समापन के लिए वर्तमान अंतिम तिथि कुछ छात्रों को अनुकूलता में रखेगी, प्रवेश के लिए उपयुक्त पात्रता मानकों को तैयार करना कार्यपालिका और नियामक प्राधिकृतियों के क्षेत्र में है। जब भी किसी अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता है, कुछ छात्र विभाजन रेखा की दूसरी ओर गिरने की संभावना होती है। [अनुच्छेद 9, 12]

शिवम सत्यार्थी बनाम संघ लोकसेवा आयोग **याचिका (सी) नं. 68 वर्ष 2022**; *भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और अन्य बनाम सौत्रिक सारंगी* **(2021) सीसीसी ऑनलाइन एससी 826**; अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर कुमार धवन **(2009) 11 सीसीसी 726 : [2009] 3 एससीआर 859**; *रचना बनाम संघ लोकसेवा आयोग और अन्य* **(2021) 5 सीसीसी 638**; *बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद* **(1990) 3 सीसीसी 368 : [1990] 2 एससीआर 468**; *हिरेंद्र कुमार बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद और अन्य* **(2020) 17 सीसीसी 401 : [2019] 2 एससीआर 608 - पर भरोसा किया गया।**

1.2 वर्तमान मामले में, इस बारे में स्पष्ट कारण प्रदान किए गए हैं कि प्रशिक्षण को पूरा करने की समय सीमा को क्यों बढ़ाया नहीं जा सकता। कट-ऑफ को और आगे बढ़ाने से शैक्षणिक अनुसूची में बाधा होगी, जैसा कि अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया। इसके अलावा, वे छात्र जिन्होंने 31 जुलाई प्रशिक्षण 2022 की छांटना के अनुसार योग्यता प्राप्त की है, अनिवार्य रूप से अनुसूची की स्थगन के कारण प्रभावित होंगे। अतः, इस न्यायालय के लिए ऐसा किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। कोविड के कार्यकाल को प्रशिक्षण की आवश्यकताओं में शामिल करने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना इस न्यायालय को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के समापन के लिए पाठ्यक्रम को माइक्रो-प्रबंधित करने

में भी लिप्त करेगी। यह एक कार्य है जिसे न्यायालय द्वारा माना नहीं जाना चाहिए। अतः, हालांकि उन छात्रों को कठिनाई हुई है जिनकी प्रशिक्षण बहुत देर से शुरू हुई, इस समय पर, अन्य छात्रों पर प्रभाव डालने के रूप में अनुसूची में बदलाव करना संभव नहीं होगा जो 31 जुलाई 2022 की कट-ऑफ तिथि को पूरा करते हैं। [अनुच्छेद 14]

पौलामी मंडल और अन्य बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य
2022 (6) स्केल 70 - पृथक किया गया।

2. महत्वपूर्ण रूप से, मामला एक महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करने से संबंधित था जहाँ सख्त लॉकडाउन लागू थे। यह कट-ऑफ तारीख तय करने से संबंधित नहीं था, जो कुछ उम्मीदवारों को बाहर करने और अन्यों को शामिल करने के लिए बं प्रशिक्षण धनकारक होगा। कानून स्पष्ट है कि ऐसा बाहर होना किसी भी कट-ऑफ तारीख को तय करने के लिए हमेशा संयोगिक होगा और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, संविधान की धारा 32 के तहत याचिका को मनोरंजन करना उचित नहीं होगा। [अनुच्छेद 15 और 16]

न्यायिक प्रस्ताव संदर्भ

[2009] 3 SCR 859	**पर निर्भर किया**	**अनुच्छेद 9**
(2021) 5 SCC 638	**पर निर्भर किया**	**अनुच्छेद 10**
[1990] 2 SCR 468	**पर निर्भर किया**	**अनुच्छेद 12**
[2019] 2 SCR 608	**पर निर्भर किया**	**अनुच्छेद 13**

सिविल मूल अधिकारिकता: रिट याचिका (सी) सं॰ 208 का। 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

गोपाल संकरनारायणन, वरिष्ठ वकील, डॉ. चारु माथुर, संजय कुमार दुबे, श्रीमती तन्वी, श्रीमती इशिता चौधरी, वकील पिटीशनरों के लिए।

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, बी. के. सतीजा, रजत नैर, संदीप कुमार महापात्र, केतन पॉल, अमन शर्मा, राज बहादुर यादव, वकील प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दर्ज याचिका को डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो नीट- पीजी 2022के उम्मीदवार हैं। वे नीट- पीजी 2022 के लिए दिखाने के लिए प्रशिक्षण की समाप्ति के लिए तारीख की चुनौती दे रहे हैं। इस वर्तमान याचिका को उत्तेजित करने वाले तथ्य नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

2. 15 जनवरी 2022 को, पहले प्रतिवादी ने नीट- पीजी 2022-23 सूचना बुलेटिन [1] जारी किया, जिसमें परीक्षा का कार्यक्रम और पात्रता मानदंड दिए गए थे। सूचना बुलेटिन की धारा 4.4 में पात्रता मानदंड के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि प्रशिक्षण समाप्ति प्रमाणपत्र को आवंटित मेडिकल कॉलेज में परामर्श/प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण को 31 मई 2022 तक पूरा किया जाना चाहिए।

3. 8 फ़रवरी 2022 को, इस न्यायालय ने, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका2 पर विचार करते हुए, पिटीशनर्स को इजाजत दी, जो प्रशिक्षण की समाप्ति की समय सीमा को स्थगित करने का अनुरोध कर रहे थे, संघ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

> "जो मुद्दा याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया है, वह देश के विभिन्न हिस्सों में स्थिति पर तथ्यों का निर्धारण मांगता है। एक कटऑफ तारीख तय करना नीति क्षेत्र से संबंधित है। न्याय की अवशेष्ठा इसे पिटीशनर्स को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पूरी की जा सकती है, जिसमें याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित प्रतियोगियों द्वारा सामना की गई कठिनाई का विवरण हो। प्रतिनिधित्व को समुचित प्राधिकृत द्वारा, इसके प्रस्तुत होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, त्वरित रूप से विचार किया जाएगा। चूंकि न्यायालय याचिकाकर्ताओं को MoHFW के सामने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे रहा है, इसलिए इस समय पर इस शिकायत की योग्यता पर इस न्यायालय द्वारा कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।"

4. प्राप्त प्रतिनिधित्वों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय परीक्षा मंडल ने 16 फरवरी 2022 को एक सूचना जारी की, जिसमें प्रशिक्षण को पूरा करने की कटऑफ तारीख को 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया, ताकि नीट- पीजी परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड पूरा किया

जा सके। पिटीशनर्स इस संशोधित कटऑफ तारीख से परेशान हैं और ने संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिकता को सक्रिय किया है।

5. प्रतिवादियों का आपत्तिजनक मुद्दा यह है कि 31 मई से 31 जुलाई 2022 तक कटऑफ का विस्तार करने से भी कुछ ऐसे राज्यों के छात्र बाहर हो जाएंगे जो कटऑफ तारीख तक अपनी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह दावा किया गया है कि 3 मई 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन की कर्तव्यों में चिकित्सा इंटर्न्स को तैनात करने की अधिकृत किया था। इसके अलावा, यह परिकल्पित किया गया था कि एम बी बी एस के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाएँ टेली-परामर्श और हल्के कोविड मामलों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं।

6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल संकरनारायणन ने यह दावा किया कि कुछ राज्यों में चिकित्सा छात्रों की प्रशिक्षण अंतिम वर्ष के चिकित्सा छात्रों को कोविड कर्तव्यों पर तैनात करने के कारण बाद में शुरू हुई थी। उदाहरण स्वरूप, यह बताया गया है कि केरल में प्रशिक्षण अगस्त 2021 में, बिहार में अक्टूबर 2021 में, झारखंड में अगस्त 2021 में, उत्तर प्रदेश में सितंबर 2021 में और जम्मू और कश्मीर में नवंबर 2021 में शुरू हुई थी। यह दावा किया गया है कि इन राज्यों में कोविड परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण की शुरुआत में देरी हुई थी और इसके परिणामस्वरूप, ये छात्र 31 जुलाई 2022 की कटऑफ तारीख को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सुनिष्चित किया गया है कि नीट- पीजी 2022 के लिए इन छात्रों को समायोजित करने के लिए कटऑफ तारीख को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप में, यह मांग की गई है कि कोविड कर्तव्यों पर बिताया गया समय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की ओर गिना जाना चाहिए।

7. उपर्युक्त प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने 30 मार्च 2022 को सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया था कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राय लेकर न्यायालय की सहायता करें। मिस ऐश्वर्या भटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपने प्रस्तुतियों के दौरान न्यायालय को प्रतिवादियों की प्रार्थना को स्वीकार करने में व्यावासिक कठिनाइयां और अगर प्रतिवादियों का प्रस्तुति स्वीकार किया जाता है तो उसका अनुकूल प्रभाव क्या होगा, यह सामने लाया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अब परीक्षाएं 21 मई 2022 को होने जा रही हैं; सलाहकारी जुलाई 2022 के तीसरे या चौथे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है; और, जो समय सारणी प्रस्तावित है, अनुसार कक्षाएँ 1 अगस्त 2022 को प्रारंभ होने की संभावना है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ति की समय सीमा का किसी भी प्रकार का विस्तार पूरे अनुसूची में विघ्न डाल देगा। इसके अलावा, यह प्रस्तुत

किया गया है कि अगर अब निर्धारित वेधित समय सारणी का पालन किया जाता है, तो अगली परीक्षा जनवरी 2023 में होने की संभावना है।

8 गोपाल संकरनारायणन के वैकल्पिक प्रस्ताव का जवाब देते हुए कि कोविड कर्तव्यों पर बिताया गया समय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के प्रति माना जाना चाहिए, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि कोविड कर्तव्य सभी विशेषताओं को ढंग से नहीं ढकता है और, इसलिए, इस अनुरोध को स्वीकार करना शैक्षिक पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का परिणाम होगा।

9 हालांकि हम समझते हैं कि प्रशिक्षण की समाप्ति के लिए वर्तमान कट-ऑफ तिथि कुछ छात्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि यह कार्यकारी और विनियामक प्राधिकृतियों का क्षेत्र है कि प्रवेश के लिए उपयुक्त पात्रता मानदंड तैयार करें। **इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और अन्य बनाम सौत्रिक सारंगी** [3] में, इस अदालत की तीन जजों की पीठ ने तय किया कि अदालतें अकादमिक नीतियों, समेत प्रवेश मानदंड, के मामलों में अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकारों का अभ्यास करते समय सतर्क होनी चाहिए। उस मामले में, इस अदालत ने जेईई (एडवांस्ड) 2021 में प्रकट होने के लिए पात्रता मानदंड में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिससे एक उम्मीदवार जो किसी आईआईटी में सीट प्राप्त कर चुका था, वह अगली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने से रोका गया। इस अदालत ने **ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बनाम सुरिंदर कुमार धवन** [4] पर भरोसा किया, जहां यह ध्यान दिया गया था कि छात्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को कम करने के चिंताओं से प्रेरित न्यायिक हस्तक्षेप शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनपेक्षित परिणामों में हो सकता है। इस अदालत ने इस प्रकार तय किया।

> "19. उच्च न्यायालय की तर्क जो मानदंड 5 के तहत आईआईटी छात्रों को दुसरी बार आईआईटी (एडवांस्ड) में भाग लेने की अनुमति नहीं देती और इसे मनमान्य मानती है, इस अदालत की राय में समर्थन योग्य नहीं है। **इस अदालत ने बार-बार जोर दिया है कि प्रवेश मानदंड तैयार करने जैसे मामलों में या अन्य मुद्दों में जो शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होते हैं, न्यायिक समीक्षा में अदालतों की समीक्षा सतर्क और सतत होनी चाहिए।** जब तक स्पष्ट रूप से मनमान्य या भेदभावपूर्ण नहीं दिखाई दे, अदालत उन प्रशासकों के प्रज्ञा को मानेगी जो शैक्षिक संस्थानों में नीतियाँ तैयार कर सकते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, उनके कर्मचारियों के कैरियर प्रोत्साहन, अनुशासन संबंधित मामले या संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सामान्य प्रशासनिक मुद्दे। इसे इस अदालत ने ऑल *इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बनाम सुरिंदर कुमार धवन* में तय किया था।"

> "16. न्यायालय ना तो सुसज्जित हैं और ना ही उनके पास ऐसी शैक्षिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है कि वे स्वयं को सांविधिक पेशेवर तकनीकी निकायों की जगह में स्थानित कर

सकें और तकनीकी शिक्षा के मानक और गुणवत्ता संबंधित शैक्षिक मामलों में निर्णय लें। **अगर न्यायालय व्यक्तिगत संस्थानों या छात्रों से उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों की अनुमति के लिए याचिकाएं मानने लगे, चाहे उनकी सुविधा के लिए हो, कठिनाई को कम करने के लिए, बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, या क्योंकि वे समझते हैं कि एक पाठ्यक्रम दूसरे के समान है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र पर सामान्य रूप से प्रभाव को नहीं समझते हुए, तो यह शिक्षा में अराजकता और शिक्षा के मानक में ह्रास की दिशा में जाएगा।"**

"20. न्यायालयों की इस सामान्य अनिच्छा को देखते हुए कि वे शैक्षिक और विशेषज्ञ निकायों के विचारों को प्रतिस्थापित करें, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण मानदंड नं. 5 को तैयार करते समय आईआईटी द्वारा दिए गए तर्क को सीधे चरितार्थ करने में नहीं समर्थित किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया है)

"10. **'रचना बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य'5** में संविधान की धारा 32 के तहत इस अदालत के सामने एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा २०२० को पास करने के लिए याचिकाकर्ताओं को एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान किया जाए, जो अन्यथा उपलब्ध प्रयासों को समाप्त करने या आयु सीमा पार करने के कारण आगामी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण, उन्होंने परीक्षा की तैयारी में कठिनाइयों का सामना किया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क किया कि सरकार ने पहले 2015 में ऐसी छूट प्रदान की थी। इस अदालत ने याचिका खारिज कर दी और तय किया कि नीति निर्णय कार्यकारी के द्वारा प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। अदालत ने आगे ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता अदालत के रिट क्षेत्राधिकार को प्रेरित करके सरकार से निर्दिष्ट नीति तैयार करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं जिसमें कुछ उम्मीदवारों को अधिकार के रूप में छूट प्रदान की जाए। इस अदालत की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:"

> "45. एक नीति निर्णय की न्यायिक समीक्षा और विशेष तरीके से नीति तैयार करने के लिए मैंडेमस जारी करने में अभिन्न रूप से भिन्नता है। यह कार्यकारी के अधिकार में है कि वह बेहतर प्रशासन के लिए और अत्यावश्यकताओं को पूरा करने में प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर एक नीति निर्णय ले, लेकिन इसी समय, यह न्यायालयों के अधिकार में नहीं है कि वह विधायिका करें। न्यायालय नियमों की व्याख्या करते हैं और ऐसी व्याख्या में कुछ सर्जनात्मक प्रक्रिया शामिल है। न्यायालयों के पास किसी नियम को संविधान के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार है। वह भी, जहां इसकी

जरूरत है। जब ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ऐसा नीति निर्णय संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तब ही अदालत को एक नीति निर्णय की मान्यता पर विचार करने के लिए कहा जाता है। केवल इसलिए कि अगर पहला प्रतिवादी पहले में छूट प्रदान कर चुका है, क्योंकि परीक्षा पैटर्न/पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था और दिए गए स्थिति में, सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभागी के लिए बाधा माना गया था, तो याचिकाकर्ताओं को पहले प्रतिवादी से नीति में छूट प्रदान करने के लिए मैंडेमस मांगने में कोई सहायता नहीं मिल सकती है, जो 2020 की परीक्षा में अंतिम और अंतिम प्रयास का लाभ उठा चुके हैं या उपरी आयु सीमा को पार कर चुके हैं।"

11. पिछली प्रक्रिया में जब इस अदालत ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश पारित किया, अदालत इस तथ्य को जानती थी कि कट-ऑफ तिथियों का कोई भी विस्तार नीति क्षेत्र से संबंधित है। निर्णय इसलिए संघ की विशेषज्ञ एजेंसियों को छोड़ दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित व्यक्तियों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे उन्हें संघ सरकार को प्रतिनिधित्व देने के लिए खुला छोड़ दिया। प्रतिनिधित्व के अनुरोध का जवाब देते हुए, 31 मई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक कट-ऑफ तिथि में विस्तार किया गया है।

12. जब भी कट-ऑफ तिथि को बढ़ाया जाता है, कुछ छात्र विभाजन रेखा के दूसरी ओर होते हैं। **बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद** [6] के मामले में प्रावधान किया था कि सहायक प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदकों के पास तीन साल का अनुभव होना चाहिए। पिछले वर्ष, आवेदन पत्र प्राप्त होने की कट-ऑफ तिथि को जून में तय किया गया था, हालांकि, प्रश्न स्थित वर्ष में, तारीख जनवरी में तय की गई थी, जिससे कुछ उम्मीदवार अयोग्य हो गए थे क्योंकि उन्होंने तीन साल की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। इस अदालत ने तय किया कि कट-ऑफ तिथि को मनमानी, संवेदनशीलता या संकीर्णता के बिना, मनमाना होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, भले ही तिथि की पसंद के बारे में कोई कारण न हो। इस अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की:

8. जैसा की पहले ही बताया गया था, पिछले प्रथा के अनुसार आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की वास्तविक प्रकाशन की तारीख के एक महीने या डेढ़ महीने बाद तय की जाती थी। पिछली प्रथा का पालन करते हुए राज्य सरकार ने आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 31 जनवरी, 1988 के रूप में तय किया। इसलिए, जिन्होंने उस तिथि तक तीन साल का अनुभव पूरा किया था, वे प्रश्न में उपस्थित पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र थे। जिन उत्तरदाताओं और कुछ

हस्तक्षेप कर्ताओं ने उस तिथि तक आवश्यक अनुभव पूरा नहीं किया था, उन्होंने अंतिम तिथि की निर्धारण को मनमानी और संविधान की धारा 14 की उल्लंघन के रूप में चुनौती दी। स्पष्ट है कि 31 जनवरी, 1988 को अंतिम तिथि के रूप में तय करते समय राज्य सरकार ने केवल पिछली प्रथा का पालन किया और अगर उच्च न्यायालय का ध्यान इस तथ्य पर आकर्षित किया जाता तो शायद वह हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता क्योंकि उसका हस्तक्षेप इस गलत विश्वास पर आधारित है कि पिछली प्रथा में आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ष के 30 जून के रूप में तय किया जाता था। पिछली प्रथा पर झुकाव के अलावा उच्च न्यायालय ने तिथि की चयन के लिए किसी भी कारण को स्वीकार नहीं किया। **जैसा कि इस अदालत द्वारा सूचित किया गया है, तिथि का चयन मनमानी के रूप में नहीं देखा जा सकता है, भले ही इसके लिए कोई विशेष कारण न हो, जब तक यह प्रमाणित नहीं होता कि यह तोषार्ह, सनकी या समझ से बहुत दूर है। पदों के विज्ञापन की तिथि का चयन करना कई कारकों पर निर्भर करता था, जैसे कि विभिन्न विषयों में रिक्तियों की संख्या, पदों को भरने की आवश्यकता, उम्मीदवारों की उपलब्धता, आदि।** किसी का भी मामला नहीं है कि कट-ऑफ तिथि पर अनुभवी उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे। किसी का भी मामला नहीं है कि कट-ऑफ तिथि पर अनुभवी उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे। **केवल इसलिए क्योंकि उत्तरदाता और कुछ अन्य अगर आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 31 जनवरी, 1988 से 30 जून, 1988 तक स्थानांतरित किया जाए तो नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि पहली तिथि को मनमानी या अतर्कसंगत मान लिया जाए।** हम, इसलिए, इस राय में हैं कि उच्च न्यायालय आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 31 जनवरी, 1988 के रूप में तय करने की सरकार की क्रियावली को मनमानी मानकर निरस्त करने में स्पष्ट रूप से गलत था।"

(जोर प्रदान किया गया)

13. हाल ही में **हिरंद्र कुमार बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुदीकेचर एट अल्लाहाबाद & अन** [7] में, इस कोर्ट की एक दो-जज की पीठ, जिसमें हम में से एक (DY चंद्रचूद, , न्यायमूर्ति) था, ने यह तय किया कि कट-ऑफ तारीख या एक आयु सीमा केवल इसलिए मनमाना और संविधान की धारा 14 का उल्लंघन नहीं होती क्योंकि कुछ उम्मीदवार इसके गलत पक्ष पर पड़ते हैं। एक कट-ऑफ तारीख या एक आयु बार हमेशा कुछ उम्मीदवारों को बाहर कर देगा। इस कोर्ट ने जोर दिया कि कट-ऑफ तारीख का निर्धारण कार्यकारी के क्षेत्र में है और कोर्ट उस कार्य को मान नहीं सकता है। इस कोर्ट ने नोट किया:

21. कट-ऑफ तारीख के निर्धारण को संचालित करने वाले कानूनी सिद्धांत अच्छी तरह से स्थिर हैं। कट-ऑफ तारीख या आयु-सीमा तय करने की शक्ति उस प्राधिकृति के विनियामक नियंत्रण को अनुसारी है जो चयन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है। किसी भी प्रतिस्थित कट-ऑफ या आयु-सीमा पर थोड़ी सी मनमानी दिख सकती है, क्योंकि रेखा के गलत पक्ष पर होने वाले उम्मीदवार को नतीजतन परिणाम से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, यह कोई कारण नहीं है कि मान लिया जाए कि प्रतिस्थित कट-ऑफ मनमाना है। एक कट-ऑफ को मनमाना और अतिविधेय मानने के लिए यह होना चाहिए कि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचाए कि इसे किसी भी तर्किक आधार के बिना तय किया गया है या यह प्रत्यक्ष रूप से अतर्किक है जिससे संविधान की धारा 14 का उल्लंघन का निष्कर्ष निकले।"

27...नियम की मान्यता को व्यक्तिगत कठिनाई के मामलों पर आधारित नहीं किया जा सकता है जो सामान्य अनुप्रयोग का सिद्धांत लागू करते समय अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। मूल रूप से, कट-ऑफ तारीख का निर्धारण नीति के क्षेत्र में है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अभ्यास करते हुए एक अदालत स्वयं के लिए कार्य नहीं लेती। स्पष्ट रूप से, यह नियम-निर्माण प्राधिकृति के लिए है कि वह नियम बनाते समय वह कार्य करे।

14. वर्तमान मामले में, इस बारे में स्पष्ट कारण प्रदान किए गए हैं कि प्रशिक्षण पूरा करने की समय सीमा को क्यों बढ़ाया नहीं जा सकता। कट-ऑफ को और आगे बढ़ाना शैक्षिक अनुसूची में विघ्न डाल देगा, जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा अदालत को सूचित किया गया। इसके अलावा, जिन छात्रों ने 31 जुलाई 2022 की कट-ऑफ के अनुसार पात्रता प्राप्त की है, उन्हें अनिवार्य रूप से अनुसूची में स्थगित करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः, इस अदालत के लिए ऐसी किसी दिशा में जाना उचित नहीं होगा। कोविड की कर्तव्यों की अवधि को प्रशिक्षण की आवश्यकताओं में शामिल करने के लिए प्रत्यालंब से इस अदालत को मेडिकल पाठ्यक्रमों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में विस्तार से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हमारे विचार में, यह एक कार्य है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अतः, हालांकि उन छात्रों को कठिनाई हुई है जिनकी प्रशिक्षण बहुत देर से शुरू हुई, इस समय पर अनुसूची में बदलाव करना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह उन अन्य छात्रों को प्रभावित करेगा जो 31 जुलाई 2022 की कट-ऑफ तारीख को पूरा करते हैं।

15. याचिकाकर्ता ने इस अदालत के एक आदेश पर भरोसा करने की कोशिश की है, जिसमें **पौलामी मंडल और अन्य बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य** [8] में

राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) को 2021 के जुलाई सत्र के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस अदालत द्वारा स्थगित कर दिया गया था। इस अदालत के साथ विचार किया गया था कि कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण, उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना वास्तव में असंभव होता। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले कई डॉक्टर कोविड-19 के प्रति प्रस्थित होते थे और उन्हें क्वारंटाइन और अलग करना पड़ता। विरुस के प्रसार को लेकर भी चिंता थी कि उस समय परीक्षा का आयोजन करना संभव हो सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे पुनः प्रस्तुत की जाती हैं

> "अदालत का ध्यान कई राज्यों में लॉकडाउन की विस्तार की खबरों पर भी आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट की गई है कि ओडिशा में लॉकडाउन को 16 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में और कोलकाता में भी लॉकडाउन को 15 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) के अनेक परीक्षार्थियों के लिए उनके कर्तव्य स्थलों से उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना अत्यंत कठिन, यदि नहीं तो वास्तव में असंभव होगा। कई डॉक्टर कोविड 19 के प्रति प्रस्थित हो रहे हैं और वे संक्रमित होने का जोखिम उठा रहे हैं और उन्हें अपने आप को अलग और/या क्वारंटाइन में रखना हो सकता है। यहां तक कि 16 जून, 2021 को राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INICET) आयोजित करने से विरुस का प्रसार होगा और कोविड19 के मामले में वृद्धि होगी।
>
> पुनरावलोकन की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) को 16.06.2021 को आयोजित करना स्वैच्छिक और भेदभावपूर्ण है, खासकर तब जब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण जैसे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षण, बोर्ड परीक्षण आदि को स्थगित कर दिया गया है।
>
> इसलिए आलोचित सूचना को अलग किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET)को 16 जून, 2021 से कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने के लिए कहा जाता है।"

राष्ट्रीय महत्व संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) को स्थगित करने के लिए तथ्य परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से अलग था जो वर्तमान परिस्थितियों से अलग है। महत्वपूर्ण रूप से, मामला एक महामारी के दौरान परीक्षा का आयोजन करने से संबंधित था जहाँ सख्त लॉकडाउन लागू थे। इसमें किसी कट-ऑफ तिथि को तय करने से संबंधित नहीं था, जो कुछ उम्मीदवारों को बाहर रखेगा और कुछ को शामिल करेगा। कानून स्पष्ट है कि ऐसा बाहर रखना हमेशा

किसी भी कट-ऑफ तिथि को तय करने के लिए होता है और इसे स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता है।

16. इस प्रकार, मामले पर विचार किए जाने पर, संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को मनोरंजन करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार याचिका तय हो जाती है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई है, तो इसे निपटा दिया जाता है।

देविका गुजराल रिट याचिका खारिज कि जाती है

रीना पांडे वकील द्वारा अनुवादित